

369

संख्या-158/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2025

विषय:- राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के सुदृढीकरण व संचालन तथा कॉल सेन्टर एवं सोशल मीडिया के संचालन हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7054/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनांक 21.02.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राहत आयुक्त कार्यालय में टोल फ्री नम्बर पर संचालित कॉल सेन्टर तथा सोशल मीडिया सेल के संचालन हेतु तथा एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के सुदृढीकरण व संचालन हेतु कुल ₹0 23 लाख की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि पूर्व में राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित आपदा नियन्त्रण केन्द्र राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट डेवलपमेन्ट एवं संचालन, टेलीफोन व सी0यू0जी0 नम्बरों, राहतवाणी केन्द्र, राहत गुरुकुलम एवं इन्टर्नशीप प्रोग्राम पर होने वाले व्यय हेतु ₹0 4,85,52,680/- की धनराशि की मांग के क्रम में शासनादेश दिनांक 17.05.2024 द्वारा आपदा नियन्त्रण केन्द्र के सुदृढीकरण व सुगम संचालन, राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट की डेवलपमेन्ट व संचालन तथा टेलीफोन नम्बरों व सी0यू0जी0 नम्बरों के बिलों के भुगतान हेतु कुल धनराशि ₹0 2,02,32,680/- राहत आयुक्त कार्यालय को आवंटित की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 10.03.2025 को सम्पन्न प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति की बैठक में प्राप्त संस्तुति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राहत आयुक्त कार्यालय में संचालित एकीकृत आपदा नियन्त्रण केन्द्र के सुदृढीकरण व संचालन हेतु ₹0 10 लाख की धनराशि तथा कॉल सेन्टर एवं सोशल मीडिया के संचालन हेतु ₹0 13 लाख इस प्रकार कुल ₹0 23 लाख की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मद से ₹0 23 लाख की धनराशि निम्नलिखित विवरण एवं शर्तों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

- (2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
- (3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (4) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 23 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-0611 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय-मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Shailendra Mani Tripathi

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

Date: 27-03-2025 09:40:58

अनु सचिव।

संख्या-158(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 प्रयागराज।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-28/03/2025

प्रेषण संख्या:- 158
आवंटन आदेश संख्या:- 001-158
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	2300000 36944680	2300000 36944680
	योग	वर्तमान प्रगामी	2300000 36944680	2300000 36944680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेइस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ उनहत्तर लाख चौवालीस हजार छः सौ अस्सी


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।